DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Monday March 5,2001/phalgun 14, 1922 (Saka)

No. 133

(1) COMMENCEMENT OF THE EIGHTH SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Members are informed that the Eighth Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Wednesday, the 21st March, 2001 at 11 A.M. in the assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

(2) LT. GOVERNOR'S ADDRESS :

Being the first session of the year Hon'ble Lt. Governor shall address the Assembly on 21st March, 2001 at 11 A.M.

15 minutes after LG's departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

(3) ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING EIGHTH SESSION.

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 21,22,23,26,27,28,29,30 March, 2001, 3,4 and 9th April, 2001.

(4) TIME OF SITTINGS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY

Except on 21st March, 2001, when the Lt. Governor shall address the Members at 11 A.M., the sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, by the Speaker.

(5) NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the members. Under Rule 36, the Members can give notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice, Starred and Unstarred Questions). In case any member gives notices of more than five questions on any day, only his first five notices will be taken up and remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(6) ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE EIGHTH SESSION (RULE 37)

For the Eighth Session, the days for answering questions by Minister in respect of various Departments have been set out as under :-

SNo.	Department	Date of sitting	Last date for receipt of Questions for the Deptts. In Col.2	Date of holding ballot for determination of priority for oral answers
1	2	3	4	5
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Training & Technical Education, Higher Education., Languages, Vigilance, Labour.	22.03.2001	08.03.2001 upto 3:00 P. M.	08.03.2001 at 5 : 00 P.M.
		29.03.2001	15.03.2001 upto 3.00 P.M.	15.03.2001 at 5: 00 P.M.
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Jail, Services, Medical & Public Health.	23.03.2001	09.03.2001 upto 3:00 P.M.	09.03.2001 at 5:00 P.M.
		30.03.2001	16.03.2001 upto 3:00 P.M.	16.03.2001 at 5:00 P.M.
3.	Food & Supplies, Public Relations, Sales Tax, Gurudwara Elections, Finance, Urban Development, Family Welfare, Transport	26.03.2001	12.03.2001 upto 3:00 P.M.	12.03.2001 at 5:00 P.M.
		03.04.2001	19.03.2001 upto 3:00 P.M.	19.03.2001 at 5:00 P.M.

4.	Land & Building, PWD and Housing, Irrigation & Flood Control, Industries, Water and Power	27.03.2001	13.03.2001 upto 3:00 P.M.	13.03.2001 at 5:00 P.M.
		04.04.2001	20.03.2001 upto 3:00 P.M.	20.03.2001 at 5:00 P.M.
5.	Excise, Environment, Forest & Wild life, Development, Tourism, Election, Employment, Law & Justice, Welfare of SC/ST, Information & Technology, Social Welfare	28.03.2001	14.03.2001 upto 3:00 P.M.	14.03.2001 at 5:00 P.M.
		09.04.2001	21.03.2001 upto 3:00 P.M.	21.03.2001 at 5:00 P.M.

Note : (1) Notices of Questions for the Eighth Session will be received with immediate effect.

(2) Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for the departments.

(3) Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(4) The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substance the same subject - matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).

(5) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(6) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 53) at 5.00 P.M. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(7) Members may kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31 (xiii)

(7) SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 287

Members who want to raise matters under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

(8) PRIVATE MEMBER'S BUSINESS

The sittings of the House to be held on Friday, the 23rd and 30th March 2001 have tentatively been allotted for private Members Bills and Resolutions respectively. The notices of Private members Bills will be received upto 3.00 P.M. on 8th March 2001 and Notices of private Members Resolutions will be received upto 3.00 P.M. on 14th March, 2001. The balloting for inter-se priority of Private Members Bills will be held on 8th March and for Private Members resolutions on 14th March, 2001 at 5.00 P.M. in the Room of Secretary. Members are welcome to Participate in the Balloting.

(9) PROCEDURE OF NOTICES

(a) Kind attention of the Members is invited to Rule 265 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows :-

   (1) Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered in Assembly Notice Office during working hours.

   (2) Unless otherwise provided in these Rules, a notice received in the office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice office.

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the

Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly Notice Office are between 10.00 A.M. and 3.00 P.M. on the date mentioned for the same. Notice left at the Notice Office after 3.00 P.M. would be treated as having been received at 10.00 A.M. on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(9). VISITORS GALLERY

As per directions of Hon'ble Speaker, application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 21.03.2001 will be accepted upto 5.00 P.M. on the earlier day i.e. 20.03.2001. Similarly, applications for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery passes only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE :

CELLULAR PHONES ETC MAY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE. IF SOMEHOW BROUGHT IN THE HOUSE, KINDLY ENSURE THAT THEY ARE KEPT SWITCHED OFF.

S.K. SHARMA
Secretary

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
EIGHTH SESSION
PROVISIONAL CALANDER OF SITTINGS

21 March , 2001	Wednesday	Lt. Governor's Address
22 March , 2001	Thursday	Presentation of Budget
23 March , 2001	Friday	Private Members' Business (Bills)
24 March , 2001	Saturday	Holiday
25 March , 2001	Sunday	Holiday
26 March , 2001	Monday	Discussion on Budget
27 March , 2001	Tuesday	Discussion on Budget
28 March , 2001	Wednesday	Passing of Budget
29 March , 2001	Thursday	Discussion on L.G. Address
30 March , 2001	Friday	Private Members' Business (Resolution)
31 March , 2001	Saturday	Holiday
1 April, 2001	Sunday	Holiday
2 April, 2001	Monday	Holiday (Ram Navmi)
3 April , 2001	Tuesday	Discussion on L.G. Address
4 April , 2001	Wednesday	Motion of Thanks on L.G. Address
5 April , 2001	Thursday	Holiday (Muharram)
6 April , 2001	Friday	Holiday (Mahavir jayanti)
7 April , 2001	Saturday	Holiday
8 April , 2001	Sunday	Holiday
9 April , 2001	Monday	Government Business/Short duration Discussion

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

§विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी§

सोमवार, 5 मार्च, 2001/फाल्गुन 14, 1922 शक§

संख्या 133

§1§ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा के आठवे सत्र का प्रारम्भ·

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का आठवां सत्र बुधवार दिनांक 21 मार्च, 2001 को पूर्वाह्न 11·00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा ।

§2§ उप राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष का प्रथम सत्र होने पर, माननीय उपराज्यपाल 21 मार्च, 2000 को **पूर्वाह्न** 11·00 बजे विधान सभा को सम्बोधित करेंगे ।

उपराज्यपाल के प्रस्थान के 15 मिनट पश्चात् सूचीबद्ध कार्य के निष्पादन हेतु विधान सभा की विधिवत् बैठक प्रारम्भ होगी ।

§3§ आठवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 मार्च 2001 और 3, 4 और 9 अप्रैल, 2001 के लिये निर्धारित की गई हैं ।

§4§ विधान सभा की बैठकों का समय

21 मार्च, 2001 के अतिरिक्त, जबकि उपराज्यपाल पूर्वाह्न 11·00 बजे विधान सभा को सम्बोधित करेंगे, जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2·00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये ।

§5§ प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-33 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम-36 के अंतर्गत सदस्य §अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित§ एक दिन के लिये केवल पांच

प्रश्नों की सूचनाएं दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जायेंगी ।

{6} आठवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन {नियम-37}

मंत्रियों द्वारा आठवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है :-

क्र·सं·	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये बैलेटिंग की तिथि
1	2	3	4	5
1·	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, भाषा, सतर्कता, श्रम	22·3·2001	8·3·2001 3 बजे तक	8·3·2001 अप·5 बजे
		29·3·2001	15·3·2001 3 बजे तक	15·3·2001 अप·5बजे
2·	गृह, राजस्व, योजना, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण कारागार, सेवाएं, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	23·3·2001	9·3·2001 3 बजे तक	9·3·2001 अप·5बजे
		30·3·2001	16·3·2001 3 बजे तक	16·3·2001 5·00बजे
3·	खाद्य एवं संभरण, जनसम्पर्क बिक्री कर, गुरुद्वारा चुनाव वित्त, शहरी विकास, परिवार कल्याण, परिवहन	26·3·2001	12·3·2001 3 बजे तक	12·3·2001 5·00बजे
		3·4·2001	19·3·2001 3 बजे तक	19·3·2001 5·00बजे

4·	भूमि एवं भवन, लोक निर्माण विभाग एवं हाउसिंग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, जल एवं ऊर्जा	27·3·2001	13·3·2001 3 बजे तक	13·3·2001 5·00बजे
		4·4·2001	20·3·2001 3 बजे तक	20·3·2001 5·00बजे
5·	आबकारी, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, विकास, पर्यटन चुनाव, रोजगार, विधि एवं न्याय, अनु·जाति/जनजाति	28·3·2001	14·3·2001 3 बजे तक	14·3·2001 5·00बजे
	कल्याण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी समाज कल्याण	9·4·2001	21·3·2001 3 बजे तक	21·3·2001 5·00बजे

टिप्पणी

1· आठवें सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी ।

2· सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पाँच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं ।

3· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जाएगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3·00 बजे तक है ।

4· जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाए, वहाँ ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतुउसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है । इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जाएंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

5· प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जाएगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें (नियम-31 (7) के अन्तर्गत) अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

6· माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

7· प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (सं· 53) में 5·00 बजे अपराह्न की जाएगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।

8· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(13) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(6) नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, वे प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11·15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग/एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए ।

(7) गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

शुक्रवार 23 मार्च,2001 एवं 30 मार्च,2001 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए आबंटित की गई है । गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचनाएं 8·3·2001 को व गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूचनाएं 14·3·2001 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी । प्राथमिकता हेतु बैलेटिंग

सचिव के कक्ष में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए 8·3·2001 को और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए 14·3·2001 को अपराह्न 5·00 बजे की जायेगी । माननीय सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वागत है ।

8· **नोटिसों की प्रक्रिया**

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैंः-

(1) प्रत्येक नोटिस जिसकी नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी ।

(2) जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, नोटिस जो कार्यालय में उपर्युक्त नियमों में दिये गये समय के उपरांत अन्य किसी समय में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी ।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिये ।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिये गये सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(घ) विधान सभा नोटिस कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किए सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें । यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ङ·) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10·00 बजे से अपराह्न 3·00 बजे के बीच है । सूचना कार्यालय में अपराह्न 3·00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 10·00 बजे दिया गया माना जायेगा । इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को सम्बोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है ।

9· **दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र**

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 291 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है । इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5·00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें। उदाहरणार्थ 21·3·2001 को हाने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 20·3·2001 को अपराह्न 5·00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतया उसी दिन जारी नहीं किये जायेंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों ।

टिप्पणी :

कृपया सेल्युलर टेलीफोन आदि सदन के बाहर ही रखें। यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बन्द रहें ।

एस·के·शर्मा
सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

आठवां सत्र

बैठको का अस्थायी कार्यक्रम

.....

21 मार्च, 2001	बुधवार	उपराज्यपाल का अभिभाषण
22 मार्च, 2001	वीरवार	बजट का प्रस्तुतीकरण
23 मार्च, 2001	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य (विधेयक)
24 मार्च, 2001	शनिवार	अवकाश
25 मार्च, 2001	रविवार	अवकाश
26 मार्च, 2001	सोमवार	बजट पर चर्चा
27 मार्च, 2001	मंगलवार	बजट पर चर्चा
28 मार्च, 2001	बुधवार	बजट का पारण
29 मार्च, 2001	वीरवार	उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा
30 मार्च, 2001	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य (संकल्प)
31 मार्च, 2001	शनिवार	अवकाश
1 अप्रैल, 2001	रविवार	अवकाश
2अप्रैल, 2001	सोमवार	अवकाश (राम नवमी)
3 अप्रैल, 2001	मंगलवार	उप-राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा
4 अप्रैल, 2001	बुधवार	धन्यवाद प्रस्ताव का पारण
5 अप्रैल, 2001	वीरवार	अवकाश (मुहर्रम)
6 अप्रैल, 2001	शुक्रवार	अवकाश (महावीर जयन्ती)
7 अप्रैल, 2001	शनिवार	अवकाश
8 अप्रैल, 2001	रविवार	अवकाश
9 अप्रैल, 2001	सोमवार	सरकारी कार्य/अल्पकालिक चर्चा

....